Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 17, Issue No. 1, April-2020, ISSN 2230-7540

कोंदर जनजाति की वास्तविक आवश्यकताओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन

दिगंत द्विवेदी[1]*, प्रो. सरिता कुशवाह[2]

[1] शोध छात्र (समाजशास्त्र), श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर (मध्य प्रदेश)

[2] प्राध्यापक, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर (मध्य प्रदेश)

***शोध सार** - न्याय का संवैधानिक ध्येय राष्ट्र के विस्तृत आकार , कोंदर जनजाति, महिलाओं, आदिम जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज के निम्न व्यक्तियों की वास्तविक आवश्यकतओ का स्मरण करते हुए पूरा नहीं हो पाया है। परिवारों एवं सामाजिक क्षेत्रों और कार्य क्षेत्रों पर लिंग भेद या जातिभेद आम बात है। कोंदर जनजाति आधुनिक समाज के साथ चलना चाहते हैं और अपने समाज का सामाजिक उत्थान चाहते हैं। यह समाज यह सोचने में बाध्य है कि आधुनिक समाज के विकास की क्रिया के समान उनके विकास का लाभ कोंदर समाज को प्राप्त नहीं हो रही। जबकि उनके विकास के लिए बनाई गई सरकारी योजना कोंदर समाज के विकास के लिए ही हैं। सरकार और विभागों द्वारा बनाए गए कार्यक्रम को लागू करने में अधिक खर्चा भी किया जा रहा है। परंतु कोंदर समाज की मूलभूत वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सरकार और विभाग असफल रहा है।*

आदिम जनजातियों के लिए बनाई गई योजनाएं एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन में स्वतंत्रता ,आधुनिकता और लचीलापन चाहिए और इसके साथ सरकार द्वारा चलाए कार्यक्रम में अनैतिकता, शिथिलता और बर्बादी को समाप्त करने पर जोर देना चाहिए। 'जनजाति समाज के लिए कार्य करने वाली संस्था या एनजीओ के अनुभव का सरकार लाभ उठाएं और इन संस्था या एनजीओ की इच्छा है कि सरकार द्वारा जनजाति समाज के विकास में कार्य में साथ रहकर सहयोग करें। ' इसलिए इन संस्थाओं या एनजीओ एवं सरकारों के मध्य एक मजबूत संबंध की वास्तविक आवश्यकता है। यह संबंध सरल , पारदर्शी ,स्पष्ट तथा कार्यों के प्रति पूर्ण समर्पित होना आवश्यक है।

मुख्य बिंदु - कोंदर जनजाति के विकास उन्मूलन कार्यक्रम , वास्तविक आवश्यकतायें, योजना ,संबंधित विभागों की आवश्यकतायें, राज्य सरकारों की कोंदर जनजाति से संबंधित वास्तविक आवश्यकतायें

----------X----------

परिचय

राज्य और केंद्र सरकारों के विकास कार्य कार्यक्रम और मानव सहायता के कार्य में एनजीओ या संस्थाओं की भागीदारी संबंधित योजना और कार्यक्रम को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार द्वारा अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा जनजाति समाज के विकास के लिए संस्था और एनजीओ की सहायता से खर्च किया जाता है। परंतु ध्यान देने योग्य है कि यह धन ईमानदारी मितव्ययिता और कुशलता के साथ बिना भ्रष्टाचारी हुए खर्च किया जाए और जनजाति समाज को इसका लाभ मिल सके।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करती है। यह अनुदान सरकार द्वारा अनुमोदन वाले कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने वाली संस्थाएं संगठनों को प्रदान किया जाता है। सामान्यतः यह अनुदान वित्तीय नियम 2005 के नियम 2006 से 2015 तक प्रदत्त नियमों के उपबंध के अनुसार होता है। साथ ही विकास से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले नियमों और अनुदान के नियम के अनुरूप होती हैं। इनमें से कुछ विशिष्ट नियम और शर्तें यह हैं।-

1 एजेंसी और सामुदायिक संगठन सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860, सहकारी समिति अधिनियम, चैरिटेबल ट्रस्ट अधिनियम किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हों।

2 अनुदान प्राप्त करने वाला संगठन प्रतिष्ठित और पंजीकृत हो, उस संगठन के कार्यों को सरकार द्वारा संतोषजनक बताया गया हो।

3 एनजीओ की स्थापना समुचित रूप से की जाये एवं यह व्यापक आधार से ओतप्रोत हो। प्रबंध और कार्यकारी समिति के कर्तव्यों , दायित्वो और आधारों का लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित से होना चाहिए।

4 अनुदान प्राप्त करने के पूर्व किसी भी संगठन को कम से कम 3 वर्षों तक समाज के कल्याण और विकास के लिए कार्य किया हो।

5 संगठन का कार्य और सेवा ,धर्म ,जाति और नस्ल का विभेद न कर समाज के सभी वर्गों के लिए समान होना चाहिए।

6 एनजीओ आर्थिक रूप से सुदृढ हो। इनके पास अनुसंधान ,कर्मिक कार्यों के संपादन के लिए पर्याप्त सुविधा और कोंदर जनजाति के कुशल कर्मचारी हो, जिसके लिए उन्हें अनुदान प्राप्त हो।

7 एनजीओ को व्यक्तिगत या किसी विशेष समूह को लाभ देने के लिये परिचालित नहीं करना चाहिये।

8 एनजीओ को बंधनपत्र भरना अनिवार्य हो अगर वह अनुदान प्राप्त करना चाहता है। अगर बंधनपत्र की शर्तों का पालन न होने पर अनुदान को वापिस करना होगा।

9 एनजीओ को बंधन पत्र भरना होगा। इसका आशय यह होगा। अनुदान प्राप्त करने के लिये अनुदान के नियमों का पालन न होने पर अनुदान राशि देनी होगी।

10 एनजीओ को अनुदान मिलने पर एनजीओ की कार्यप्रणाली और उद्देश्यों का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है।

11 एनजीओ अंशदान लेने में और संसाधन को एकत्रित करने के लिए स्वयं समर्थ हो।

12 अनुदान में प्राप्त राशि का सही प्रयोजन में खर्च होनी चाहिए।

कोंदर जनजाति के लिये केंद्र सरकार द्वारा बागवानी बोर्ड द्वारा योजनाएं लागू है जिससे कोंदर जनजाति को लाभ मिल सके। बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित योजना या कार्यक्रम कृषि मंत्रालय , सहकारिता और कृषि विभाग , एनएचबी के निदेशक मंडल और भारत सरकार के निरीक्षण अंतर्गत योजनाओं का संपादन करती हैं।

1 योजना के अंतर्गत लाये क्षेत्रों का आधुनिक विकास और अपनी कार्यरूपरेखा से उस क्षेत्र को विशिष्ट बनाना होता है।

2 परियोजना के महत्वपूर्ण अंग के रूप में समूह को सुविधाओं में आधुनिक कृषि और प्रबंधन का क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं में विकास करना।

3 कोल्ड चेन ढांचे का विकास उद्देश्य बागवानी उन्नत में एकत्र ऊर्जा की बचत करने का विकास।

4 आधुनिक समय की प्रौघोगिकी औजार और नई तकनीकों का आकलन कर उसको वाणिज्यिकरण में सम्मिलित करना।

5 अच्छे किस्म के पौधों के लिए कलम लगाकर पौधों और जड़ों के लिये मदर प्लांट ,भंडारण बैंक एवं नर्सरी की स्थापना करना।

6 नर्सरी को मान्यता दिलाने एवं रेटिंग कर और सामग्री की उपलब्धता कर आयात करने में सहायता प्रदान करना।

7 विपणन के विकास के लिये एवं बागवानी उपज के कार्यों को प्रोत्साहित करना।

8 आधुनिक पौधों की सामग्री का आयात और अन्य कृषि उत्पादनओं को आईएनएम ,आईएचएम और पीएचएम प्रोटोकॉल द्वारा खेतों का परीक्षण करवाने हेतु प्रोत्साहित करना

और अनुसंधान और विकास योजना का वाणिज्यिकरण द्वारा निर्धारण होना चाहिए।

9 पीएचएम प्रोटोकॉल्स द्वारा निर्धारित विकास एवं अनुसंधान करना।

10 कुशल कोंदर जनजाति के व्यक्तियों में बागवानी , उपज भंडारण एवं उत्पाद के उपभोग का नई पद्धति द्वारा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना।

11 कृषि क्षेत्रों और उद्यानों में सुविधा केंद्रों का निर्माण करना।

12 मार्केट के बारे में डाटा प्राप्त करने के लिए आंकड़ों का विकास कर और एकत्र करने की प्रणाली को मजबूत करना।

13 समस्याओं को पता लगाकर उनका सर्वेक्षण और अध्ययन करना एवं बागवानी के विकास के लिए दीर्घ और लघु नीतियों का विकास करना एवं परामर्श और सलाहकारी सेवाओं सहित आधुनिक सेवाओं को एकत्र करना।

जिसे तालिका 1 द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।

तालिका क्रमांक-1 आवेदन की लागत का ढांचा

आवेदन की लागत	डिमांड ड्राफ्ट और वर्ग	क्रेडिट या डेबिट कार्ड (वीजा/मास्टर)
परियोजना के लिये 10 लाख रुपए तक लागत	1000 रुपए	1000 रुपए की अदायगी के लिये लगने वाला प्रभार अतिरिक्त होगा
10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजना।	2000 रुपए	2000 रुपए की अदायगी के लिये लगने वाला प्रभार अतिरिक्त होगा
20 लाख रुपए से अधिक और 50 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजना।	5000 रुपए	5000 रुपए की अदायगी के लिये लगने वाला प्रभार अतिरिक्त होगा
20 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजना	10000 रुपए	10000 रुपए की अदायगी के लिये लगने वाला प्रभार अतिरिक्त होगा

कोंदर जनजाति के लिये केंद्रीय बागवानी बोर्ड की योजना उपयोगी एवं उचित है। इन योजनाओं के द्वारा कई प्रकार की हाईटेक वाणिज्य उत्पादन को अधिक मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। जिससे कोंदर व्यक्तियों को लाभ मिल सके।

सन्दर्भ

1 डॉक्टर एस एम जैन एवं डॉक्टर चतुर्भुज मामोरिया ,साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा संस्करण 1997 ,पृष्ठ 193

2 डॉक्टर एस एम जैन एवं डॉक्टर चतुर्भुज मामोरिया ,साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा संस्करण 1997 ,पृष्ठ 69-70

3 डॉक्टर प्रमिला कुमार, मध्य प्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2003, पृष्ठ 1

4 सामान्य अध्ययन , मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2004, पृष्ठ 191

5 जनजातीय समाज, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल (.प्र.म), 2019

Corresponding Author

दिगंत द्विवेदी*

शोध छात्र (समाजशास्त्र) , श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर (मध्य प्रदेश)